

न्यायालय— अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश  
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम  
बिहारशरीफ,नालन्दा।

उपस्थिति:— धीरज कुमार भास्कर,अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश  
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम  
बिहारशरीफ,नालन्दा।

**नियमित जमानत आवेदन सं0 243 / 26**

सन्नी कुमार, पे0—बुल्लु राम  
साकिन—चकदीन, थाना—अस्थायी, जिला—नालन्दा.....आवेदक  
बनाम  
बिहार सरकार

**19.03.2026**

राजगीर थाना काण्ड सं0—86 / 2026 अंतर्गत धारा— 318(4), 338, 336(3), 340(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आवेदक सन्नी कुमार की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को दी गयी है। आवेदक दिनांक—08.02.2026 से कारा अभिरक्षा में है। आवेदक का जमानत आवेदन विद्वान् मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ द्वारा दिनांक—12.02.26 को खारिज किया गया है।

उक्त जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि सूचक के द्वारा थाना में दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर राजगीर थाना कांड संख्यT—86 / 2026 दर्ज किया गया है। आवेदक के द्वारा पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक को झूठा, मनगढ़त एवं स्थानीय राजनीति के तहत फंसाया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह बिल्कुल निर्दोष है। आवेदक दिनांक—08.02.2026 से कारा अभिरक्षा में है। आवेदक बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाए।

विद्वान् विशेष लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

सूचक राहुल कुमार सिंह, हिंदी आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, हसनपुर, राजगीर के द्वारा थाना में दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक—07.02.2026 को CTET की परीक्षा का संचालन हो रही थी। सूचक द्वितीय पाली में कमरा नं0—105 में 4:15 बजे वीक्षक का कार्य कर रहे थे। रौल नं0—118100584 रूपक कुमार की जगह पर सन्नी कुमार परीक्षा दे रहा था। उसने अपने अपराध के लिए लिखित बयान दिया। इस संबंध में वायो मैट्रिक विवरण के माध्यम से भी लगाये गये आरोप प्रमाणित हुआ है। कमरा नं0—206 में द्वितीय पाली में 4:20 बजे रौल नं0—118100867 अमरजीत कुमार को भी बायो मैट्रिक विवरणी के आधार पर पकड़ा गया। जाँच में पाया गया कि उक्त रौल नं0 चंचल कुमार का है, जिसके बदले अमरजीत कुमार द्वारा परीक्षा दिया जा रहा था।

जमानत आवेदन पर उभय पक्षों का तर्क सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतित होता है कि आवेदक सन्नी कुमार के विरुद्ध अभियोग है कि वह CTET के परीक्षा में परिक्षार्थी रूपक कुमार के नाम पर गलत ढंग से परीक्षा दे रहा था। सूचक का कहना है कि आवेदक ने लिखित रूप से अपना अपराध स्वीकार किया है। परंतु अभिलेख में इसका स्वीकारोक्ति व्यान उपलब्ध नहीं है। केस दैनिकी के कंडिका—4 में सूचक तथा कंडिका—8,17,18 एवं 19 में साक्षियों ने अभियोजन घटना का समर्थन किया है। केस दैनिकी के कंडिका—14 के अवलोकन से प्रतित होता है कि

कमशः

न्यायालय— अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश  
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम  
बिहारशरीफ,नालन्दा ।

उपस्थिति:— धीरज कुमार भास्कर,अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश  
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम  
बिहारशरीफ,नालन्दा ।

**नियमित जमानत आवेदन सं0 243 /26**

**सन्नी कुमार बनाम बिहार सरकार**

**लगातार**

**19.03.2026**

आवेदक ने अपने सफाई ब्यान में कहा है कि वह 5,000/-हजार रुपया लेकर रूपक कुमार के नाम पर परीक्षा दे रहा था। आवेदक दिनांक-08.02.26 से कारा अभिरक्षा में है। आवेदक के विरुद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप लगाया गया है। इस स्थिति में आवेदक को जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचना के उपरांत आवेदक रूपक कुमार के जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)

ह0/-

(धीरज कुमार भास्कर)

अपर सत्र न्यायाधीश-षष्टम्

सह विशेष न्यायाधीश

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

(अत्याचार निवारण) अधिनियम, नालन्दा, बिहारशरीफ ।